

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

राजस्थान सरकार का उपक्रम

क्र: अवि.वि.नि.लि./प्र.नि./अ.अ. (योजना)/प्रे.

NO 3276

दिनांक :

19 SEP 2006

आदेश - 320

राज्य सरकार द्वारा सिप्रंकलर/ड्रिप सिंचाई मीटर्ड कनेक्शनों में प्रति यूनिट दर में रु. 0.10 की छूट का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक AVVNI./MD/FA & COA/Sr. AO (Rev.)/F CB/D. 576 Dated 4-6-2005 द्वारा मीटर्ड कृषि कनेक्शन धारकों द्वारा उक्त छूट लेने पर विलिंग की विधि को स्पष्ट किया गया है।

इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि किसानों को छूट के प्रावधान का ज्ञान न होने के कारण लाभान्वित होने योग्य किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अतः उक्त प्रावधान को उचित प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैं।

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व) समस्त विलिंग ऐजेन्सियों को कृषि मीटर्ड विलों में निम्न वाक्य अंकित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

“यदि आप फव्वारा/बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं तो आप के विद्युत बिल में 10 पैसे प्रति युनिट की छूट के लिये अपने सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क करें”।

2. इस योजना में लाभान्वित होने योग्य किसानों द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय में सम्पर्क करने पर उनसे सलग्न प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र भरवाया जाकर उसकी जांच सहायक अभियंता द्वारा की जाये एवं प्रार्थना-पत्र योग्य पाया जाने पर सहायक अभियंता द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाकर टैरिफ कोड “P” अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(दिनेश कुमार)
19/09
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, राधिका, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिट्रिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक जयपुर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (पवस/वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
5. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (उ.स./झु.स.) अ.वि.वि.नि.लि., उदयपुर/झुंझुनु।
6. वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता () अ.वि.वि.नि.लि., _____।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. प्रावधिक -सहायक, अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, विद्युत भवन, जयपुर।
12. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., _____।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
15. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के सूचनार्थ।
16. निजी-सहायक, अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, जयपुर।
17. सहायक लेखाधिकारी (गियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

फव्वारा बूँद-बूँद पद्धति द्वारा सिंचाई करने पर छूट हेतु।

सेवा में

श्रीमान् सहायक अभियंता ()

अ.वि.वि.नि.लिमिटेड

मैं/हम* फव्वारा बूँद-बूँद पद्धति द्वारा सिंचाई कर रहे हैं अतः मुझे/हमें* राज्य सरकार द्वारा घोषित छूट 10 पैसे प्रति यूनिट का लाभ देने का कष्ट करें। मेरे कृषि कनेक्शन का विवरण निम्नानुसार है।

- 1. उपभोक्ता (ओ) का नाम :
- 2. खाता संख्या :
- 3. पता :
- 4. टेरिफ कोड :
- 5. सम्बद्ध विद्युत भार :HP
- 6. मीटर नं :

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

श्री के खाता संख्या के खेत पर अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारादिनांक को जांच की गई एवं उपरोक्त वर्णित पद्धति द्वारा सिंचाई होना पाया गया/नहीं पाया गया *।

कनिष्ठ अभियंता

उपरोक्त खाता संख्या में..... छूट का लाभ देने हेतु टेरिफ कोड में **P** अंकित कर दिया जाए/नहीं पाने पर उपभोक्ता को सूचित दिया जाए *।

सहायक अभियंता

बिलिंग एजेन्सी को खाते में **P** कोड अंकित करने के लिए निर्देश/आवेदक को नोटिस पत्र सं..... दिनांक..... से जारी कर दिया गया*।

सहायक राजस्व अधिकारी

*जो लागू न हो काट दिया जाए।